

दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

3-4-19

पत्रावली पैसा इन्ही वकील प्राची उपर है। वकील
 प्राची ने र. प्रान्त को मूल काद के निस्तार
 तक स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। जहा
 की तरफ से कोई अपास्वीकृत नहीं है। पत्रावली
 का अवलोकन कर दि. 10-12-13 को जारी
 आदेश को मूल काद के निस्तारण लक्ष्य
 किया गया। इस अवसर सम्बन्धी को सूचना
 लक्ष्य जारी है। पत्रावली प्रान्त सुधार हेतु
 दर्ज नम्बर से करा है। आदेश स्वैच्छित
 से सुनाया गया।

रूप खण्ड अधिकारी
 साँभर लोक